न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2021/357

प्रार्थना पत्र संख्या 102 / 2021 — तारीख रजू 04.10.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र मंगल्या बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारना डूंगर।
2. कमला पत्नि रामजीलाल बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारना डूंगर।

.......अप्रार्थीगण

निर्णय — दिनांक 16.01.2026

यह प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण रामजीलाल पुत्र मंगल्या बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारना डूंगर एवं कमला पत्नि रामजीलाल बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 1598 / 1845 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली में आदेश दिनांक 06 / 06 / 2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 1598 / 1845 रकबा 038 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 के अनुसार आवंटी का कभी कब्जा नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों [illegible] बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 1598 / 1845 [illegible] 0.[illegible]0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबि[illegible] 07.2021 के अनुसार आवंटियो का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। पुनःश्च तक किया कि खसरा गिरदावरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:45 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

चौसाला सम्वत 2073–76 के अनुसार उक्त भूमि लगातार पड़त पड़ी हुई है जो कि आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी रामजीलाल पुत्र मंगल्या बैरवा व कमला पत्नि रामजीलाल बैरवा निवासी बाढ बिलोली को आराजी खसरा नम्बर 1598 / 1845 में से रकबा 0.38 है0 आदेश दिनांक 06 / 06 / 2002 द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटित शुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 687 दर्ज होकर दिनांक 10 / 06 / 2002 को स्वीकार हुआ। भू अभिलेख निरीक्षक चक बिलोली एवं पटवारी हल्का चक बिलोली की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर–खातेदार रामजीलाल पुत्र मंगल्या बैरवा व कमला पत्नि रामजीलाल बैरवा का खसरा सं0 1598 / 1845 में से रकबा 0.38 है0 पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2073 – 76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया गया है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 1598 / 1845 रकबा 038 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली पर पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 06 / 06 / 2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बाढ बिलोली के आराजी खसरा नम्बर 1598 / 1845 रकबा 038 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:45 IST
Reason: SelfAttested